

अपस्थिति। जवाब देना करना आवश्यक-1।  
अवसर दिया गया। पत्रावली वास्तु जवाब  
दावा दि. 7.8.24 को पेश होवे।

  
SDO

07.08.2024 पत्रावली पेश हुई। तकील पक्षकरान  
उपरिपत। तकील वादी प्रकरण में  
व्यामालय की अब तक की  
कार्यवाही से संतुष्ट हैं एवं आगे  
कार्यवाही नहीं-चाहते हैं। वकील  
वादी ने नोट-प्रेस करने का  
निवेदन किया। वकील वादी  
द्वारा नोट-प्रेस करने के आधार  
पर वाद खारिज किया जाता  
है। पत्रावली फंसल शमार  
होकर वाद तक्मील दाखिल  
दफतर होवे।



Not for  
7/8/24